बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2025– 72 पटना, दिनांक– 9/9/25

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 03 जिलों यथा–अरवल, नवादा एवं किशनगंज में नवनिर्मित 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा–बर्तन आदि के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू0 13,43,100/– की दर से कुल राशि रू0 40,29,300/– (रू0 चालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र एवं R.O UV Water Cooler Cum Purifier के अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/–(रू0 पन्द्रह लाख) मात्र तथा पुस्तकालय हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/– (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 70,29,300/– (रू0 सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2– विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 03 जिलों यथा–अरवल, नवादा एवं किशनगंज में नवनिर्मित 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा–बर्तन आदि के क्रय हेतु प्रति विद्यालय रू0 13,43,100/– की दर से कुल राशि रू0 40,29,300/– (रू0 चालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र एवं R.O UV Water Cooler Cum Purifier के अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/–(रू0 पन्द्रह लाख) मात्र तथा पुस्तकालय हेतु प्रति विद्यालय रू0 5,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 15,00,000/– (रू0 पन्द्रह लाख) मात्र अर्थात् कुल राशि रू0 70,29,300/– (रू0 सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3–योजना के संबंध में दिशा–निर्देशः–

(i) संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार 03 जिलों यथा–अरवल, नवादा एवं किशनगंज में स्वीकृत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में जीविका के माध्यम से मेस का संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 13,43,100/– की दर से तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु R.O UV Water Cooler Cum Purifier का अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5.00 लाख की दर से एवं पुस्तकालय अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 5.00 लाख की दर से सभी 03 आवासीय विद्यालय के लिए कुल अनुमानित व्यय की राशि रू0 70,29,300/– (रू0 सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र है।

(ii) विभागीय संकल्प सं0–1769 दिनांक–21.11.2024 के आलोक में विभागान्तर्गत संचालित सभी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवासित छात्राओं को भोजन, जलपान आदि के लिए मेस का संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से किया जाना है।

(iii) जीविका के पत्रांक–BRLPS/Proj-NF/2373/24/378 दिनांक–08.05.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका दीदी की रसोई के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु जरूरी उपकरणों, बर्तन आदि की सूची संलग्न करते हुए प्रति विद्यालय राशि रू0 13,43,100/– मात्र का व्यय का आकलन किया गया है। उक्त माँग पत्र के अनुरूप वित्त विभागीय नियमों का अनुपालन करते हुए उपयुक्त सामग्रियों/उपस्करों का क्रय किया जायेगा। अनुपयोगी सामग्री क्रय किये जाने की स्थिति में

Scanned with OKEN Scanner

जवाबदेही संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी की होगी। क्रय की गयी सामग्री/उपस्कर विद्यालय की परिसंपत्ति होगी।

(iv) उक्त सभी 03 आवासीय विद्यालयों में R.O UV Water Cooler Cum Purifier का अधिष्ठापन किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम–से–कम छात्रावास भवनों के प्रत्येक तल पर एक–एक, विद्यालय भवन में एक एवं मेस के समीप एक R.O UV Water Cooler Cum Purifier का अधिष्ठापन किया जायेगा। वैसे ब्रांडेड R.O वाटर प्यूरीफायर का क्रय किया जायेगा, जो उच्च क्षमता एवं उच्च गुणवत्ता वाला हो।

(v) पुस्तकालय हेतु स्वीकृत राशि के आलोक में पुस्तकों का क्रय विभाग द्वारा तैयार की गयी मानक सूची के अनुरूप वित्त विभागीय नियम के अनुरूप किया जायेगा।

4–प्रस्तावित व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या–11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ, विपत्र कोड संख्या–11.2225032770010 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5–स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

6–राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिये गये निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7–प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8–प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

9/9/25

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2025– 72 पटना, दिनांक– 9/9/25

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/9/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2025– 72 पटना, दिनांक– 9/9/25

प्रतिलिपि–सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/9/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2025– 72 पटना, दिनांक– 9/9/25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/9/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2025– 72 पटना, दिनांक– 9/9/25

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/9/25

सरकार के अपर सचिव।

D/Puja Sinha 2024/sanction order/OBC School + Hostel Sanction Order (m)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में जीविका के माध्यम से मेस संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों यथा–बर्तन आदि, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर के अधिष्ठापन तथा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

विपत्र कोड–11–2225032770010

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	आवश्यक सामग्रियों यथा–बर्तन आदि	पुस्तकालय	आर0ओ0 प्यूरीफायर	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, अरवल	1343100	500000	500000	2343100
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, नवादा	1343100	500000	500000	2343100
3	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, किशनगंज	1343100	500000	500000	2343100
	योग	4029300	1500000	1500000	7029300

(रूपये सत्तर लाख उनतीस हजार तीन सौ) मात्र

पत्रांक– 72 दिनांक– 9/9/25 का अनुलग्नक।

9/9/25

सरकार के अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner